राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1082/2012/नागौर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–पंचम, नागौर. ......अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गुरूदेव केमिकल लाईम इण्डस्ट्रीज, गोगेलाव, नागौर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06/01/2014

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 228/10–11/वैट/नागौर में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.01.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय नागौर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 23, 24 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 2,00,740/– का आई.टी.सी. चाहा गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विक्रेता मैसर्स सोम ब्रदर्स एण्ड कम्पनी हनुमानगढ़, मैसर्स जैन एण्ड जैन कॉर्पो. हनुमानगढ़ तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा द्वारा आलौच्य अवधि में बिक्रीत माल के सत्यापन के विषय में उनके कर निर्धारण अधिकारी को लिखे जाने पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी अनुसार मैसर्स सोम ब्रदर्स एण्ड कं0 का पंजीयन दिनांक 6.11.2006 से निरस्त होना, मैसर्स जैन एण्ड जैन कॉर्पो. वर्ष 2003–04 से बंद होने तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन दिनांक 28.2.2006 को बंद होना पाया गया। उक्त टिप्पणियों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध उसके द्वारा विवरण पत्रों में क्लेम किये गये आई.टी.सी. को अस्वीकार कर रिवर्स कर रूपये 1,72,831/–, ब्याज रूपये 39,759/– आरोपित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61(2) के तहत रिवर्स

लगातार.................2

टैक्स की चार गुणा शास्ति रूपये 6,91,324/— का आरोपण आदेश दिनांक 26.11.2010 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2012 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति व ब्याज अपास्त किया गया तथा रिवर्स टैक्स के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय आदेश से अप्रसन्न होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करवाई गई जांच में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारियों का पंजीयन निरस्त हो जाने के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा चाहा गया आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गयी है। आई.टी.सी. का समायोजन तभी दिया जा सकता है, जबकि यह प्रमाणित हो जाये कि चाहे गये आई.टी.सी. बाबत देय वैट राजकोष में जमा हो चुका हो। इस प्रकार चाहे गये आई.टी.सी. बाबत देय कर राजकोष में जमा होने की प्रमाणिकता के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.सी.सी. को रिवर्स करते हुए धारा 61(2)(ए) के तहत शास्ति एवं धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन किये बिना प्रत्यर्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विक्रेता व्यवहारियों के पंजीयन के निरस्त होने की सूचना के आधार पर बिना किसी जांच के एवं संव्यवहारों की प्रमाणिकता के अभाव में केवल संदेह के आधार पर संव्यवहारों को मिथ्या मानते हुए प्रत्यर्थी द्वारा चाहे गये आई.टी.सी. को अस्वीकार करते हुए संदेह के आधार पर शास्ति एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर समुचित रूप से अवलोकन के उपरान्त प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार................3

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विक्रेता मैसर्स सोम ब्रदर्स एण्ड कम्पनी हनुमानगढ़, मैसर्स जैन एण्ड जैन कॉर्पो. हनुमानगढ़ तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा द्वारा वर्ष 2008–09 में बिक्रीत माल के सत्यापन के विषय में उनके कर निर्धारण अधिकारी को लिखे जाने पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी अनुसार मैसर्स सोम ब्रदर्स एण्ड कं0 का पंजीयन दिनांक 6.11.2006 से निरस्त होना, मैसर्स जैन एण्ड जैन कॉर्पो. वर्ष 2003–04 से बंद होने तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन दिनांक 28.2.2006 को बंद होना पाया गया। इन टिप्पणियों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध उसके द्वारा विवरण पत्रों में क्लेम किये गये आई.टी.सी. को अस्वीकार कर रिवर्स कर व ब्याज आरोपित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। इसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा की गई अपील को अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार की कि आई.टी.सी. तभी अस्वीकार की जा सकती है, जबकि खरीद वास्तविक रूप से नहीं की गई हो। विक्रेताओं द्वारा वैट जमा नहीं कराने के लिये क्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। व्यवहारी द्वारा दिनांक 28.2.2011 व 30.3.2011 को कुल राशि रूपये 2,00,740/– जमा करा दिया गया है। माल विक्रय के विषय में जांच नहीं की गई है। इस प्रकार रिवर्स टैक्स को यथावत रखते हुए शास्ति व ब्याज को अपास्त किया है तथा ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से विक्रेताओं के पंजीयन वर्ष 2008–09 से काफी समय पहले ही निरस्त होने की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को मिली, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल की खरीद बाबत कोई जांच नहीं की गई। माल के वास्तविक संव्यवहार की प्रमाणिकता को सिद्ध किये बिना धारा 61(2)(ए) के तहत आई.टी.सी. के 4 गुणा शास्ति आरोपित किया जाना, संदेह पर आधारित है, इसलिए ऐसी शास्ति को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। वेट अधिनियम की धारा 61(2)(ए) इस प्रकार है :–

61. Penalty for avoidance or evasion of tax. –

(1) ....

(2) Notwithstanding anything contained in sub–section (1), where any dealer has availed input tax credit wrongly, the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such dealer–

लगातार................4

(a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit;

उक्त प्रावधान अनुसार गलत रूप से लिया गया आई.टी.सी. यदि False or Forged वेट इन्वॉयस के आधार पर लिया गया हो तो 4 गुणा शास्ति आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत प्रकरण में वेट इन्वॉयस को False or Forged होना प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। जहां तक ब्याज का प्रश्न है, कर निर्धारण अधिकारी ने आई.टी.सी. अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स आरोपित किया है, जो जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित किया गया है। ब्याज कर निर्धारण आदेश तक आरोपित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा मांग पेटे राशि रूपये 2,00,740/– जमा होने के आधार पर ब्याज के बिन्दु पर अपील स्वीकार कर पुनः गणना हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। ब्याज की देयता ऑटोमेटिक है तथा वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत विधिसम्मत रूप से आरोपित किया गया था। अतः ब्याज के बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाती है तथा ब्याज की सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जाता है।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
06/01/15